न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2019 नामान्तरकरण अपील

1. मेवाराम पुत्र बुद्धाराम उम्र 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी ढण्ड का बास बिशनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र बुद्धाराम
2. भागचन्द पुत्र बुद्धाराम
3. प्रेमदेवी पत्नि स्व. भगवान सहाय
4. लक्ष्मण पुत्र स्व. भगवान सहाय
5. अशोक पुत्र स्व. भगवान सहाय
6. अमित पुत्र स्व. भगवान सहाय
7. देव कुमार पुत्र स्व. भगवान सहाय उम्र 14 वर्ष जरिये नाबालिग संरक्षक माता प्रेम देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय
   समस्त जाति बैरवा निवासी ढण्ड का बास, बिशनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।
8. तहसीलदार बसवा जरिये लैण्ड होल्डर बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध निर्णय तस्दीक नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 ग्राम बिशनपुरा तहसील बसवा)

उपस्थिति :– 1 :श्री श्यामसुन्दर शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: श्री राजेन्द्र जांगिड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6 उपस्थित।
3: श्री विजय बैन्दाडा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं 1,3,4,7 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 22.03.2021

संक्षिप्त में वाकयात अपील इस प्रकार से है कि ग्राम बिशनपुरा पटवार हल्का कौलाना तहसील बसवा जिला दौसा में अपीलान्ट के पिता की खातेदारी भूमि खसरा सं. 28 रकबा 0.86 है. खसरा सं. 45 रकबा 0.54 है., खसरा सं. 46 रकबा 0.14 है., खसरा सं. 47 रकबा 1.02 है., खसरा सं. 53 रकबा 0.06 है. कुल किता 05 कुल रकबा 2.62 है. स्थित है। जिसमे अपीलान्ट के पिता का 1/5 हिस्सा जमाबन्दी में अंकित है। अपीलान्ट के पिता ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार मदनलाल पुत्र घासीराम जाति ब्राह्मण निवासी बिशनपुरा का 1/5 वां हिस्सा क्रय किया था। अपीलान्ट के पिता ने अपीलान्ट को एक वसीयत पत्र दिनांक 26.06.1999 को अपनी अंतिम इच्छा पत्र जरिये प्रकाश चन्द जैन

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एडवोकेट बसवा से उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 को सबरजिस्ट्रार कार्यालय बसवा के यहां दिनांक 30.06.1999 को पुस्तक सं. 03, भाग सं. 10 क्रम सं. 33 व पृष्ठ सं. 22 पर पंजीकृत करवाया। उक्त वसीयत पत्र पर रामोतार पुत्र छाजूराम बैरवा व दूलीचन्द पुत्र बुद्धाराम बैरवा के बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवाये। अपीलान्ट के पिता बुद्धाराम की मृत्यू दिनांक 20.10.2001 को हो गई। उसके पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 को विरासत का नामान्तरकरण बुद्धाराम पुत्र सुखपाल जाति बैरवा के बजाय मेवाराम, भगवानसहाय, पप्पूलाल, भागचन्द, पिसरान बुद्धाराम व मु. भगोती देवी बेवा बुद्धाराम हिस्सा 1/5 के नाम दर्ज करने का स्वीकृत कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपील अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामा. अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा मृतक बृद्धाराम के वारिसान को कोई सूचना न देकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 से मिलीभगत कर नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 को विरासत का स्वीकृत कर दिया। जो कि कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक बृद्धाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट के नाम अपनी भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा 1/5 की वसीयत जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 30.06.1999 को कर दी थी। इसलिये मृतक बृद्धाराम के हिस्से 1/5 की भूमि का वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित था, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा उक्त वसीयत पर ध्यान न देकर नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 खोल दिया। जिसके कारण अपीलान्ट के अधिकारो का हनन हुआ है। अपीलान्ट खाने कमाने के लिये दिल्ली में निवास करता है। इसका बेजा फायदा उठाकर नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 तस्दीक करवा लिया। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 1.3.2017 को होने पर अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के यहां दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने राजस्व कैम्प कौलाना में दिनांक 17.05.2017 को दावा स्वीकार कर तहसीलदार बसवा को वसीयत के आधार पर मृतक बृद्धाराम का हिस्सा 1/5 की खातेदारी घोषणा के आदेश प्रदान किये। अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के आदेश दिनांक 17.05.2017 को लेकर तहसीलदार बसवा के यहां गया तो तहसीलदार बसवा ने वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने से साफ इन्कार कर दिया और कहां कि पहले नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 खारिज करवाओं इसके बाद ही मैं तुम्हारा उक्त भूमि में वसीयत के आधार पर खातेदारी दर्ज कर सकता हूं। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के हक में जारी करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। अपील समर्थन में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा RRT 2016-17(sup.)Page 183, 184, 185, 187 प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति० जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 लगा. 7 ने जवाब सहमति के तथ्यों कों दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 लगा. 7 का नाम वारिसान के आधार पर नामा. में दर्ज हो गया जो कि गलत है। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 लगा. 7 को नामा. संख्या 15 दिनांक 21.12.2001 को निरस्त किये जाने एवं उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत के आधार पर खोल दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी भली प्रकार से अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3 लगा. 7 ने अपीलान्ट के नाम वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने की सहमति दी है, किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 2 भागचन्द पुत्र बुद्धाराम द्वारा सहमति नहीं दी गई है न ही उनके अधिवक्ता ने कोई कथन बहस के दौरान किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **RRT 2016-17(sup.)Page 183, 184, 185, 187** इस पर चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार बसवा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण सं. 15 दिनांक 21.12.2001 ग्राम बिशनपुरा तहसील बसवा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official